जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-18.01.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साइकिल व अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 18.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की गयी मोटर साइकिल व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल को जनपद पानीपत से चोरी करना बताया गया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रिंकू पुत्र रणवीर निवासी कस्बा व थाना मतलोडा जनपद पानीपत हरियाणा ।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना रजि0नं0 HR40D1251

2.एक अवैध चाकू।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 18.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.भूरा पुत्र नईम निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध चाकू।

थाना कांधला पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 10.12.2024 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दी गई। पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कांधला को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मुकुल सिंह पंवार पुत्र हरधम सिंह निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 17.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अनस पुत्र नवाब निवासी मौहल्ला खैलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना थानाभवन जनपद शामली पुलिस द्वारा धारा 107(1) बीएनएसएस के अन्तर्गत की गयी जब्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध मेः-</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 16.10.2024 को वादी श्री मकसूद राणा पुत्र यासीन निवासी ग्राम हिन्ड थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा उसकी दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा रुपये 25,000/- चोरी करने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0- 407/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुये महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये तथा घटना में अभियुक्तगण 1.समीर पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द थाना कैराना जनपद शामली 2.नासिर पुत्र अख्तर निवासी ग्राम कंकरकुई थाना रामपुर मनिहार जनपद सहारनपुर 3.नीरज पुत्र राजवीर निवासी ग्राम व थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर के नाम प्रकाश में आये।

इसी क्रम मे दिनाँक 03.12.2024 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुये बाद पुलिस मुठभेड़ अभियुक्तगण उपरोक्त को चोरी किये गये सामान, नगदी, अवैध हथियार व घटना में प्रयुक्त कैंटर वाहन सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त समीर द्वारा अपने कब्जे से बरामद मोबाईल फोन माड़ल पोको C61 को उपरोक्त चोरी किये गये रुपयों से खरीदना बताया गया था।

उक्त के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के अनुमोदन के उपरांत धारा 107(1) बीएनएसएस के अन्तर्गत चोरी के रुपये से खरीदे गये मोबाइल फोन को अभियुक्त समीर के द्वारा अपराध कारित कर प्रत्यक्ष रूप से अर्जित सम्पति होने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली श्रीमती ईशा चौधरी के समक्ष जब्तीकरण हेतु आवेदन किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 18.01.2025 को ज़िलाधिकारी शामली को नियमानुसार नीलामी करने का आदेश निर्गत किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 2,450/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1. वर्ष 1993 में अभियुक्त ताराचन्द पुत्र नानक निवासी ग्राम तितारसी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 67/1993 धारा 147/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 18.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 450/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 05 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 1996 में अभियुक्तगण 1.त्रिलोक चन्द पुत्र सुखबीरा 2.श्रीमती ओमकली पत्नी सुरेशचन्द निवासीगण ग्राम बधाई खुर्द थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 127/1996 धारा 323/324/406/424/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000-,1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.ताराचन्द पुत्र नानक निवासी ग्राम तितारसी थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.त्रिलोक चन्द पुत्र सुखबीरा निवासी ग्राम बधाई खुर्द थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

3.श्रीमती ओमकली पत्नी सुरेशचन्द निवासी ग्राम बधाई खुर्द थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI